संख्या-55/2018/1422/30-3-18-29एम/2014टी.सी.

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनॉक 20 अप्रैल 2018**

विषय:-दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है तथा उससे अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, जिसके कारण अनेकानेक परिवारों को भावनात्मक क्षति के साथ-साथ आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। गत वर्ष में भारत में घटित सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हुई मृत्यु में सबसे अधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। सड़कों पर यात्रा को सुरक्षित बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटनाएं और उससे होने वाली क्षति से बचा जा सके। यद्यपि सड़कों पर यात्रा को अधिकाधिक सुरक्षित बनाये जाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं, परन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों के विषय में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.04.2018 से 30.04.2018 तक 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी थीम "सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा" है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अवधि में सड़क सुरक्षा के विषय पर मण्डल एवं जनपद स्तर पर अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जॉय। इसी कड़ी में दिनांक 23.04.2018 से 30.04.2018 तक परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की समय-सारिणी, जो आपको प्रेषित की जा चुकी है, के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कराना सुनिश्चित करें। इन कार्यक्रमों में जिले के मा0 प्रभारी मंत्री, मा0 सांसद एवं मा0 विधायकगण को मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाय।

3- प्रत्येक जनपद तथा मण्डल स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वृहद कार्यशाला का आयोजन किया जाय, जिसमें सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया जाय। विद्यालयों के प्रबन्धन से अनुरोध कर लिया जाय कि इस अवधि में विद्यालय में सड़क सुरक्षा विषय पर एक विशेष असेम्बली आयोजित की जाय तथा परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के उपायों पर असेम्बली को सम्बोधित करने हेतु भेजा जाय। चालकों, विशेषकर स्कूल बस चालकों के नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय एवं आई.एम.ए. के सहयोग से हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जाय। इसके साथ-साथ हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग एवं आवश्यकता के बारे में स्वयं सेवी संस्थाओं, एन.सी.सी., ब्वायज स्काउट्स, लायन क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि की सहभागिता से जागरूकता अभियान चलाया जाय। सरकारी कार्यालयों में हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहनने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहनने के नियम के पालन हेतु प्रभावी प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाय। सड़क सुरक्षा के विषय में जनजागरूकता उत्पन्न करने हेतु साइकिल रैली, पैदल फुटमार्च एवं सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की स्मृति में कैंडिल मार्च भी आयोजित किया जाय।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीया,
आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या-55/2018/1422(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, चिकत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुहम्मद अख़लाक़ खॉ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।